




## Form No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर कपासन		मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र हथियाना	
लेहरू पिता कन्ना		बनाम	लेहरू पिता चतारमुज
किरमा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0		नं० 32	सन् 2023
तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की माफिल में जारी हुग
14.06.2023	<p>वकील प्रार्थीगण ने आज दिनांक को प्रशारान गांधी के संग अधियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र हथियाना में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर बहस एक तरफा वावत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस चुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा उचनारकलां पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 188 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1478/818 रकवा 0.25 हैक्ट0, आराजी संख्या 1479/819 रकवा 0.40 हैक्ट0, कुल किता 2 कुल रकवा 0.65 हैक्ट0 कृषि भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थी प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सयुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।</p> <p>हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा उचनारकलां पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 188 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1478/818 रकवा 0.25 हैक्ट0, आराजी संख्या 1479/819 रकवा 0.40 हैक्ट0, कुल किता 2 कुल रकवा 0.65 हैक्ट0 कृषि भूमि कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में विना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोवस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।</p>		 <p>सत्यमेव जयते</p> <p>Web Copy - Not Official</p> 



(अर्चना बुगालिया)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, कपासन